समयबद्ध

पत्र संख्या-स्था0-6 सामान्य दिव्यांगजन(135) भाग-2/2025-2026/ 1374 /राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक::18 जून.2025

समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश(जोन- नोएडा, गाजियाबाद(द्वितीय),
लखनऊ(प्रथम) एवं कानपुर(प्रथम) को छोड़कर) ।

विषय:-समस्त सार्वजनिक/शासकीय भवनों को "दिव्यांगजन हितैषी/बाधारहित" बनाये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक राज्य कर अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-173/1936619/11-05-2025 दिनांक-06-06-2025(छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके साथ प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन एवं सशक्तीकरण अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-1/975298/2025/65-2013/2/2019 दिनांक-28.05.2025 की प्रति संलग्न की गयी है जिसमें समस्त सार्वजनिक/शासकीय भवनों को "दिव्यांगजन हितैषी/बाधारहित" बनाये जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-49/2016 की अधिसूचना दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 में उल्लिखित प्राविधानानुसार भवनों को दिव्यांगजन हितैषी बाधारहित बनाये जाने के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत करते हुए उल्लिखित शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने एवं संलग्नक प्रारुप पर सूचना प्राथमिकता के आधार पर शासन को तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।

अतः प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन एवं सशक्तीकरण अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन का पत्र संख्या-1/975298/2025/65-2013/2/2019 दिनांक-28.05.2025 की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि उक्त वांछित सूचना निर्धारित प्रारुप पर दिनांक 25.06.2025 तक प्रत्येक दशा में मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

संलग्नक:- विभागीय वेबसाइड पर अपलोड ।

(सुनील कुमार वर्मा)
अपर आयुक्त(प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- अपर आयुक्त, राज्य कर, जोन- नोएडा, गाजियाबाद(द्वितीय), लखनऊ(प्रथम) एवं कानपुर(प्रथम) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि शासन द्वारा वांछित सूचना निर्धारित प्रारुप में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- अपर निदेशक, राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान एवं शोध संस्थान गोमती नगर, लखनऊ ।

3- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को एक प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु ।

4- नाजिर, राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वांछित सूचना स्था-06 सामान्य पटल को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

संलग्नक:- विभागीय वेबसाइड पर अपलोड ।

अपर आयुक्त(प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

महत्वपूर्ण/प्राथमिकता

संख्या-173/1936619/11-5-2025

प्रेषक,

सुनील कुमार मण्डल
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन।

अपर आयुक्त (प्र०)

सेवा में,

आयुक्त,
राज्य कर विभाग,
उ0प्र0,लखनऊ।

आयुक्त 10.6.25

1006

राज्य कर अनुभाग-5 लखनऊ :: दिनांक06-06-2025

विषयः- समस्त सार्वजनिक/शासकीय भवनों को ''दिव्यांगजन हितैषी/ बाधारहित'' बनाये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन एवं सशक्तीकरण अनुभाग-2 के पत्र संख्या-1/975298/2025/65-2013/2/2019, दिनांक 28 मई, 2025, जिसमें समस्त सार्वजनिक/शासकीय भवनों को ''दिव्यांगजन हितैषी/बाधारहित'' बनाये जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा ''दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-49/2016 की अधिसूचना दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 में उल्लिखित प्राविधानानुसार भवनों को दिव्यांगजन हितैषी बाधारहित बनाये जाने के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत करते हुये उल्लिखित शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने एवं संलग्न **प्रारूप पर** सूचना प्राथमिकता के आधार पर तत्काल उपलब्ध कराये जाने एवं किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 28.05.2025 की छायाप्रति संलग्नक सहित प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया पत्र में उल्लिखित निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए वांछित सूचना संलग्न प्रारूप पर सीधे दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2 को तत्काल उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

अपर आयुक्त (प्र०) 10/6/25

भवदीय,

Digitally signed by SUNIL KUMAR MANDAL
Date: 06-06-2025 16:02:12

(सुनील कुमार मण्डल)
अनु सचिव।

संख्या-173(1)/11-5-2025 तद दिनांक

प्रतिलिपि दिव्यांगजन एवं सशक्तीकरण अनुभाग-2 को उनके उपर्युक्त संदर्भित पत्र दिनांक 28 मई, 2025 को उपर्युक्त संदर्भित पत्र दिनांक 28.05.20255 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

ह०/-
(सुनील कुमार अग्रवाल)
अनु सचिव।

E 1936619/2025   सं- 173/11-5-2025

अनुस्मारक
महत्वपूर्ण/प्राथमिकता
संख्या-I/975298/2025/65-2013/2/2019

प्रेषक,

सुभाष चन्द शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2   लखनऊः दिनांक 28 मई, 2025

विषयः-समस्त सार्वजनिक/शासकीय भवनों को "दिव्यांगजन हितैषी/बाधारहित" बनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-49/2016" की अधिसूचना दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 निर्गत की गयी है। उक्त अधिनियम की धारा-44 एवं 45 के अन्तर्गत भवनों को दिव्यांगजन हितैषी बनाये जाने के संबंध में निम्न व्यवस्थायें दी गयी

3574/PS/S/25
US(12)

धारा- 4 4 (1) No establishment shall be granted permission to build any structure if the building plan does not adhere to the rules formulated by the Central Government under section 40.
(2) No establishment shall be issued a certificate of completion or allowed to take occupation of a building unless it has adhered to the rules formulated by the Central Government.

धारा-45 (1) All existing public buildings shall be made accessible in accordance with the rules formulated by the Central Government within a period not exceeding five years from the date of notification of such rules:

Provided that the Central Government may grant extension of time to the States on a case to case basis for adherence to this provision depending on their state of preparedness and other related parameters.

(2) The appropriate Government and the local authorities shall formulate and publish an action plan based on prioritisation, for providing accessibility in all their buildings and spaces providing essential services such as all primary health centers, civil hospitals, schools, railway stations and bus stops.

02/6/25

1194/US(K)/28
JS(G)
02.06.25

2. उक्त प्राविधानों के तहत भवनों को दिव्यांगजन हितैषी बाधारहित बनाये जाने के लिये विभागीय स्रोतों से समुचित प्राविधान कराकर यथावश्यक निर्माण कार्य सुनिश्चित कराने एवं भविष्य में जब भी किसी शासकीय भवन का नव निर्माण कराया जाये, तो उसमें दिव्यांगजन हितैषी प्राविधान समावेशित हो, कि व्यवस्था अवश्य सुनिश्चित किये जाने के निर्देश शासनादेश संख्या-1936/65-2-2018-41(विविध)/2018 दिनांक 04.10.2018 निर्गत किया गया है। यह भी अवगत कराना है कि विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचना के आधार पर शासकीय भवनों को दिव्यांगजन हितैषी बनाये जाने संबंधी सूची संलग्न है।

3. यह भी अवगत कराना है कि भारत सरकार के आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिव्यांगजन एवं वृद्ध व्यक्तियों के लिये सभी भवनों में पहुंच हेतु सुगम्य एवं बाधारहित वातावरण बनाये जाने के लिये "Harmonized Guidelines and Standards for Universal Accessibility In India, 2021" निर्गत की गयी है, जिसमें भवनों को दिव्यांगजन हितैषी बनाये जाने के बारे में विस्तार मे निर्देश दिये गये हैं। उक्त गाइड लाइन CPWD व NIUA website (cpwd.gov.in and niua.org) पर उपलब्ध हैं।

171/JS/25

4. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त सार्वजनिक/शासकीय भवनों को

US(SKM)
02/06/25

20.6.25

दिव्यांगजन हितैषी/बाधारहित बनाये जाने के संबंध में निर्गत शासनादेश दिनांक 04 अक्टूबर, 2018, 18 दिसम्बर, 2020, 15 जनवरी, 2021, 02 फरवरी, 2021, 22 जून, 2021, 04 मार्च, 2022, 28.07.2022, 06.02.2023, 03.04.2023, 23.05.2023, 28.11.2023 एवं पत्र दिनांक 13.05.2025 में दिये गये प्राविधानों के तहत पूर्व निर्मित सरकारी भवनों को दिव्यांगजन हितैषी बनाये जाने के लिये विभागीय बजट स्रोतों से समुचित प्राविधान कराकर यथावश्यक निर्माण कार्य सुनिश्चित कराये जाने और भविष्य में होने वाले नवनिर्माण में दिव्यांगजन हितैषी प्राविधानों को अवश्य रखे जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करें। इसके साथ ही जो भवन दिव्यांगजन हितैषी/बाधारहित बना लिये गये हैं और जो अभी तक दिव्यांगजन हितैषी/बाधारहित नहीं बन सके हैं, उसके संबंध में संलग्न प्रारूप पर सूचना दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल उपलब्ध कराने एवं उपर्युक्त उल्लिखित शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त।

Digitally signed by
SUBHASH CHAND SHARMA
Date: 28-05-2025
10:47:04

भवदीय,

(सुभाष चन्द शर्मा)
प्रमुख सचिव।

तत्संख्या/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. राज्य आयुक्त दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द शर्मा)
प्रमुख सचिव।

प्रदेश के सरकारी/गैर सरकारी भवनों को दिव्यांगजन हितैषी/बाधारहित बनाये जाने हेतु सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्रारूप

विभाग का नाम:-

दिनांक:-

विभाग के नियंत्रणाधीन ऐसे शासकीय भवनों की संख्या जिन्हें दिव्यांगजन हितैषी/बाधारहित बनाया जा चुका है।	विभाग के नियंत्रणाधीन ऐसे शासकीय भवनों की संख्या जिन्हें दिव्यांगजन हितैषी/बाधारहित बनाया जाना अवशेष है।

संलग्नक

सार्वजनिक भवनों के दिव्यांगजन हितैषी बनाये जाने की स्थिति				
क्र.सं	विभाग का नाम	दिव्यांगजन हितैषी बनाये गये भवन	दिव्यांगजन हितैषी बनाये जाने हेतु अवशेष भवन	अभ्युक्ति
1	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	271	7	-
2	औद्योगिक विकास विभाग	360	79	-
3	श्रम विभाग	78	96	-
4	राजस्व विभाग	379	56	-
5	गृह विभाग	407	1798	-
6	पंचायतीराज विभाग	13159	44577	-
7	लोक निर्माण विभाग	455	36	-
8	ग्राम्य विकास विभाग	795	174	-
9	नगर विकास विभाग	664	98	-
10	कृषि एवं कृषि विपणन विभाग	0	0	शून्य सूचना प्राप्त।
11	अतिरिक्त ऊर्जा, स्रोत विभाग	01	00	-
12	खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग	18	00	-
13	भाषा विभाग	08	00	-
14	न्याय विभाग	01	00	-
15	युवा कल्याण विभाग	01	00	-
16	सहकारिता विभाग	1783	4815	-
17	नागरिक सुरक्षा विभाग	17	12	-
18	कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग	147	70	-
19	प्राविधिक शिक्षा विभाग	229	73	-
20	चिकित्सा शिक्षा विभाग	29	1	
	योग	**18802**	**51892**	